न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व वादपत्र स0 287/2017

पीठासीन अधिकारी : श्री नीरज कुमार मीना (आरएएस)

1. पराक्रम सिह पुत्र भंवरसिंह
2. विक्रम सिंह पुत्र भंवरसिंह
3. गजराज पुत्र भंवरसिंह
4. भंवरी देवी पत्नि भंवर सिंह
5. कान्ता पुत्री भंवरसिंह
6. बसन्त कुमार पुत्र नारायण
7. रूपसिंह पुत्र नारायण
8. प्रेम पुत्री नारायण
9. मुन्नी पुत्री नारायण

समस्त जाति दरोगा निवासीगण बघेरा तह. केकड़ी जिला अजमेर

————वादीगण

♠बनाम♠

1. महावीर पुत्र कल्याणसिंह फोत जरिये वारिसान
   1/1 सुशीला पत्नि स्व. महावीर
   1/2 छत्रफालसिंह पुत्र स्व. महावीर
   1/3 सुनीता पुत्री स्व. महावीर
   1/4 मोना पुत्री स्व. महावीर
   1/5 बीना पुत्री स्व. महावीर
2. सुरेन्द्र पुत्र कल्याणसिंह
3. धनसिंह पुत्र कल्याणसिंह
4. बनवारीसिंह पुत्र रामनिवास दोराने दावा फोत (डिलीट)
5. रतनसिंह पुत्र हाथीसिंह

समस्त जाति दरोगा निवासीगण बघेरा तहसील केकड़ी जिला अजमेर

————प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 188,209,राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक 30.06.2018

पत्रावली आज दिनांक 30.06.2018 को केम्प कोर्ट न्याय आपके द्वार केम्प बघेरा तहसील केकड़ी जिला अजमेर में पेश हुई। वादीगण/प्रतिवादीगण उपस्थित। संक्षेप में विवरण निम्न प्रकार है–

वादीगण ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा 188,209 राज. काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि वादीगण के वाद पत्र में वर्णित भूमि वाके ग्राम बघेरा तहसील केकडी जिला अजमेर के जमाबन्दी संवत 2061–64 के खाता स. 811 के खसरा नम्बर 96 रकबा 0.59 हैक्ट भूमि वादीगण के नाम राजस्व अभिलेख में जरिये नामान्तकरण संख्या 2155 दिंनाक 30.08.2005 से दर्ज खातेदारी है। वाद वर्णित आराजी में प्रतिवादीगण का कोई हक हिस्सा आदि सरोकार नही है किन्तु प्रतिवादीगण वादवर्णित आराजी की सीमाओं पर अतिक्रमण कर फिजुल के वाद विवाद उत्पन्न करते है। अतःवादी ने यह वाद पेश किया गया है जिसे स्वीकार फरमाया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

हमने वादीगण का दावा दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादीगण की ओर से श्री हेमराज कानावत अधिवक्ता ने पावर व जवाब दावा पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। जवाब सरकार पेश नही होने से जवाब सरकार बन्द कर तन्कीयात कायम की गई। प्रतिवादी 1 व 4 फोत होने से प्रतिवादी 1 के वारिस कायम कर मृतक प्रतिवादी 4 का नाम डिलीट किया गया। वादी की शहादत हेतु गवाह रूपसिंह के शपथ पत्र पर प्रदर्श 1 अंकित कर जिरह पूरी की गइ। वर्तमान में पत्रावली शहादत प्रतिवादी हेतु नियत है। प्रतिवादी की ओर से बतौर गवाह के कोई शपथ पत्र आदि पेश नही है। पत्रावली आज केम्प कोर्ट बघेरा में पेश हुई जहां वादी व प्रतिवादी संख्या 2 स्वयं उपस्थित है। प्रतिवादी 2 ने फर्द अहकाम पर अपनी टिप्पणी अंकित की है जिसमें निवेदन किया है कि वादीगण की वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादीगण की ओर से कोई हस्तक्षेप नही करेंगे। लिहाजा वादीगण का दावा स्वीकार फरमाया जावे। उपस्थित पक्षकारान को सुना गया विवरण तन्कीवार निम्न प्रकार है–

तनकी नम्बर 1 – आया वादीगण की वादग्रस्त भूमि वादीगण के पूर्वजों की आराजी है जो वादीगण के कब्जे काश्त में होने से प्रतिवादीगण को पाबन्द कराने का हक रखते है।

इस तनकी को सिद्ध करने का दायित्व वादीगण का है। इस तनकी को सिद्ध करने के लिए वादी ने वादपत्र के साथ ग्राम बघेरा तहसील केकड़ी जिला अजमेर की जमाबन्दी संवत 2061–64 खाता नम्बर 811 जो कि प्रदर्श पी1 है पेश की है जिसमें आराजी खसरा नम्बर 96 रकबा 0.59 हैक्ट. भंवर सिंह, बसन्त कुमार , रूपसिंह , प्रेमदेवी, दुर्गादेवी, मुन्नी देवी पिता श्री नारायणसिंह , सज्जन कंवर बेवा कल्याण सिंह, महावीर सिंह, सुरेन्द्र सिंह, जयसिंह, धनसिंह, सरोज पिता कल्याणसिंह, गुलाब देवी बेवा हाथीसिंह, राधेश्याम, रतनसिंह पिता हाथीसिंह व बनवारी सिंह पिता रामनिवाससिंह दरोगा, सा.देह खातेदार नामान्तकरण संख्या 1054 दिनांक 16.10.01, 1411 दिनांक 20.02.2004 के नाम दर्ज खातेदारी होकर जरिये नामान्तकरण संख्या 2155 विभाजन 30.08.2005 से खसरा नम्बर 96, 97,100, 3870, 3582 मि. कुल किता 5 कुल रकबा 4.54 हैक्ट पर पराक्रम, विक्रम गजराज, कान्ता पिता भंवर सिंह, भंवरी पत्नि भंवर सिंह , बसन्त कुमार, रूपसिंह, प्रेम, दुर्गा, मुन्नी पिता श्रीनारायण कौम दरोगा सा.देह खातेदार दर्ज खातेदारी हुई। वादीगण ने गवाह पी डब्लू 1 रूपसिंह की बतोर गवाह शपथ पत्र पेश किया जिसकी जिरह पूर्ण की गई। प्रस्तुत जिरह अनुसार वादग्रस्त आराजी वादीगण की खातेदारी होना जाहिर होता है जिससे वादपत्र स्वीकार योग्य बनता है।

प्रतिवादीगण ने इस तनकी को सिद्ध करने के लिए मात्र जवाब दावा पेश किया है जिसमें वादीगण का दावा अस्वीकार किया है तथा पारस्परिक सहमति से कोई बंटवारा नही होना जाहिर किया है। तथा वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादीगण का कब्जा होना जवाब दावा में अंकित किया है साथ ही निवेदन किया है कि वादग्रस्त आराजी पर वादीगण का कभी भी कब्जा काश्त नही रहा है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी में जो विभाजन का नामान्तकरण भरा गया है वह राजस्व कर्मचारीयों की मिलिभगत से परिवर्तन किया जाना जाहिर किया है। प्रतिवादीगण के अधिवक्ता ने पीडब्लू 1 की जिरह की गई जिसमें कोई नये तथ्ये उजागर नही किये है। अतः प्रतिवादी इस तनकी को अपने हक में सिद्ध करने में असमर्थ रहा है लिहाजा तनकी नम्बर 1 विरूद्ध प्रतिवादी व वादीगण के पक्ष में तय की जाती है।

तनकी नम्बर 2 – आया वादीगण की वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का कभी भी कब्जा काश्त नही रहने से कब्जे के अभाव में वादीगण का दावा खारिज होने योग्य है।

इस तनकी को सिद्ध करने का दायित्व प्रतिवादीगण का है जिन्होने मात्र जवाब दावा पेश किया है जिसमें वादीगण का वादग्रस्त आराजी पर कभी भी कोई कब्जा काश्त नही होना जाहिर किया है किन्तु उक्त बिन्दु को सिद्ध करने के लिए कोई लिखित दस्तावेज या गिरदावरी पेश नही की है जिससे प्रतिवादी तनकी नम्बर 2 को सिद्ध करने में असमर्थ रहा है। अतः तनकी नम्बर 2 वादीगण के पक्ष में तय की जाती है।

हमने उभयपक्षो की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रतिवादी संख्या 2 ने आज दिनांक की आदेशिका के विशेष विवरण में अंकित किया कि वादीगण की वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादीगण कोई हस्तक्षेप नही करेंगे। उक्त टिप्पणी से जाहिर होता है कि वादग्रस्त आराजी वादीगण की है तथा प्रतिवादीगण को वादीगण का दावा स्वीकार है। जिससे वादीगण को प्रेमाफेसाई केस होने से वादपत्र का संतुलन भी वादीगण के पक्ष में होना जाहिर है।

अतः वादीगण का दावा वाके ग्राम बघेरा तहसील केकड़ी जिला अजमेर की जमाबन्दी संवत 2061–64 के खाता स. 811 के खसरा नम्बर 96 रकबा 0.59 हैक्ट भूमि का स्वीकार कर डिक्री किया जाता है तथा प्रतिवादीगण को जरिये निषेधाज्ञा से सदैव के लिए पाबन्द किया जाता है कि वे वादीगण की वादग्रस्त आराजी में उनके कब्जे काश्त व स्वामित्व में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करे ना ही फसल को नष्ट भ्रष्ट करें। पत्रावली फेसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 30.06.2018 पृथक से लिखाया जाकर निर्णय शामिल पत्रावली किया गया व मजमें आम मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी